पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी, 2018 ई0 (माघ 07, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–04

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	61–81	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	71–104	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	17–21	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

आबकारी अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

26 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 698/XXIII/2017/53/2007–शीरा नियंत्रक/आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या 8026/शीरा परामर्श समिति गठन/2015, दिनांक 04–10–2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या 4466 ऑफ, 2007 मै0 धामपुर शुगर मिल्स लि0 बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24–09–2007 के अनुपालन में "उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964" (उत्तराखण्ड में उपान्तरित एवं अनुकूलित) की धारा 3 में उल्लिखित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश शीरा परामर्श समिति नियमावली, 1965 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते हुए इस विषय पर निर्गत पूर्व आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार शीरा परामर्श समिति का गठन किये जाने श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

1.	आबकारी आयुक्त (शीरा नियन्त्रक)	अध्यक्ष
2.	उप आबकारी आयुक्त (शीरा)	पदेन सदस्य सचिव
3.	उद्योग निदेशक, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उप निदेशक स्तर से निम्न न हो	पदेन सदस्य
4.	गन्ना आयुक्त, उत्तराखण्ड अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो उप आयुक्त स्तर से निम्न न हो	पदेन सदस्य
5.	श्री अजय खण्डेलवाल, महाप्रबन्धक, मैसर्स राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल्स लि0, लक्सर, जनपद हरिद्वार	सदस्य
6.	श्री मनमोहन शर्मा, उपाध्यक्ष, धनेश्वरी एग्रो प्रोडक्ट्स लि0, इकबालपुर, जनपद हरिद्वार	सदस्य
7.	श्री एस0एल0 शर्मा, हैड एकाउन्ट्स एण्ड कमर्शियल, उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड लिब्बरहेडी, जनपद हरिद्वार	सदस्य
8.	श्री आर0एस0 यादव, वी0पी0एच0आर0 एण्ड एडमिन, मै0 आई0जी0एल0, काशीपुर	सदस्य
9.	श्री अजय खण्डेलवाल, महाप्रबन्धक, मैसर्स राय बहादुर नारायण सिंह, शुगर मिल्स लि0, लक्सर, जनपद हरिद्वार	सदस्य
10.	श्री रामेश्वर हवेलिया, साझीदार, एल्कोहॉल डिवीजन, मै0 दून वैली डिस्टलर्स, कुंआवाला, देहरादून	सदस्य
11.	श्री सी0 एम0 शर्मा, प्रतिनिधि, मैसर्स आई0जी0एल0, काशीपुर	सदस्य
12.	निदेशक, मैसर्स जगदम्बा लिक्यूफाईड स्टील लि0 रायपुर (भगवानपुर), रुड़की, जनपद हरिद्वार	सदस्य
13.	प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड को–ऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन लि0	सदस्य
14.	प्रतिनिधि, मै0 आंचल कैटल फीड फैक्ट्री किच्छा बाई पास रोड, रूद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर	सदस्य
15.	प्रतिनिधि, मैसर्स तारा हेल्थ फूड्स लिमिटेड प्लाट नं0 ए0–2 ई0एस0आई0पी0, सितारगंज, जनपद ऊधमसिंह नगर	सदस्य

2. समिति द्वारा शीरा नीति को सफल बनाये जाने हेतु विगत अनुभवों व वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप सुझाव दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

समाज कल्याण अनुभाग–04

अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 803/XVII-4/2017–2–अ(05)/2011–श्री राज्यपाल महोदय "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2013 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :–

उत्तराखण्ड समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम वं प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम–5 में संशोधन 2. उत्तराखण्ड समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा में नियमावली, 2013, में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम–5 के क्रमांक–5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्

	स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
सहायक निदेशक/जिला समाज कल्याण अधिकारी/सचिव, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग/सचिव, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग/सचिव, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग	50 प्रतिशत नियम–15 के अनुसार आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित संवर्गों में से उनके सामने अंकित प्रतिशत के अनुसार, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम तिथि को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, नियम–16 के अनुसार, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा– (एक) अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी : 40 प्रतिशत (दो) अधीक्षक, विकलांगों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रय कर्मशाला/अधीक्षक वृद्ध एवं अशक्त गृह/ अधीक्षक, भिक्षुक गृह : 10 प्रतिशत	50 प्रतिशत नियम–15 के अनुसार आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा और 50 प्रतिशत विभाग में मौलिक रूप से नियुक्त निम्नलिखित संवर्गों में से उनके सामने अंकित प्रतिशत के अनुसार, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम तिथि को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, नियम–16 के अनुसार, अनुपयुक्त को स्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा– (एक) अपर जिला समाज कल्याण अधिकारी : 40 प्रतिशत (दो) अधीक्षक, विकलांगों के लिये प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रय कर्मशाला/अधीक्षक वृद्ध एवं अशक्त गृह/ अधीक्षक, भिक्षुक गृह/अधीक्षक, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय) : 10 प्रतिशत

आज्ञा से,

डॉ0 रणवीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 803/XVII-4/17-2अ(05)/2011/**, Dehradun, dated December 29, 2017 for general information:

NOTIFICATION

December 29, 2017

No. 803/XVII-4/17-2अ(05)/2011--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttarakhand Social Welfare Gazetted Officers Services Rules, 2013:-

The Uttarakhand Social Welfare Gazetted Officers Service Rules, 2017

Short title and Commencement

1. (1) These Rules may be called the Uttarakhand Social Welfare Gazetted Officers Service (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force at once.

Amendment in Rule-5

2. On the Uttarakhand Social Welfare Gazetted Officers Rules, 2013, of the existing rule 5 of serial No. 5 out in Column-1 below, the rule set out in Column-2 shall be substituted namely:

	Column-1 **Existing Rule**	**Column-2** **Rule as hereby substituted**
Assistant Director/District Social Welfare Officer/Secretary, Uttarakhand Scheduled Castes and Scheduled Tribes Commission/Secretary. Uttarakhand Other backward Classes Commission/Secretary Uttarakhand Minority Commission.	50% Direct recruitment through Commission as per rule 15 and 50% by promotion through Commission as per rule 16 such substantively appointed in the Department in following cadres according percentage mentioned in their front, who have completed minimum 05 years service as such on the first day of the year of recruitment- (i) Additional District Social Welfare Officers-40% (ii) Superintendent, Training Centre and Shelter Workshop to Handicapped/ Superintendent, Aged and Disabled Home/Superintendent, Beggar Home- 10%	50% Direct recruitment through Commission as per rule 15 and 50% by promotion through Commission as per rule 16 such substantively appointed in the Department in following cadres according percentage mentioned in their front, who have completed minimum 05 years service as such on the first day of the year of recruitment- (i) Additional District Social Welfare Officers-40% (ii) Superintendent, Training Centre and Shelter Workshop to Handicapped/ Superintendent, Aged and Disabled Home/Superintendent, Beggar Home/ Superintendent Government Assram Type School- (Primary School). 10%

By Order,

Dr. RANBIR SINGH,
Additional Chief Secretary.

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग

विज्ञप्ति/नियुक्ति

29 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 2283/XLI–1/17–87/17–प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ता, विद्युत के रिक्त पदों पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की संस्तुति के फलस्वरूप निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 1008/नि0प्रा0शि0/व्याख्याता नियुक्ति/2017–18 दिनांक 21–09–2017 के क्रम में निम्न तालिका में उल्लिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख कालम–3 में निर्दिष्ट राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान में वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400/– में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पैरा–2 एवं 3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्त/तैनात करते हुए दो वर्ष की परिवीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम/गृह जनपद	तैनाती स्थल
1	2	3
1.	श्री अभिषेक उनियाल/देहरादून	रा0पा0, पोखरी, चमोली
2.	सुश्री प्रियंका चौहान/उत्तरकाशी	रा0पा0, क्वांसी, देहरादून
3.	सुश्री इतिका त्यागी/हरिद्वार	रा0पा0, पांबौ, पौड़ी गढ़वाल
4.	श्री किशन सिंह बिष्ट/पिथौरागढ़	रा0पा0, बाडेछीना, अल्मोड़ा
5.	सुश्री सोनम रावत/देहरादून	रा0पा0, श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल
8.	श्री कुलदीप सिंह टकोला/चमोली	रा0पा0, पिपली, उत्तरकाशी
7.	श्री सुनील मिश्रा/नैनीताल	रा0पा0, जोशीमठ, चमोली
8.	श्री पंकज नेगी/देहरादून	रा0पा0, उत्तरकाशी
9.	श्री भाष्कर नौटियाल/नैनीताल	रा0पा0, बाड़ेछीना, अल्मोड़ा
10.	श्री अभिनव छिम्वाल/नैनीताल	रा0पा0, बरम, पिथौरागढ़
11.	श्री विष्णु कुमार/हरिद्वार	रा0पा0, पोखरी, चमोली
12.	सुश्री कंचन जुयाल/चमोली	रा0पा0, नई टिहरी
13.	सुश्री प्रीति राना/उत्तरकाशी	रा0पा0, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल
14.	श्री मोहनदास/हरिद्वार	रा0पा0, गैरसैंण, चमोली
15.	श्री राहुल शर्मा/देहरादून	रा0पा0, रामनगर, नैनीताल
16.	श्री दीपक कुमार चौधरी/हरिद्वार	रा0पा0, गैरसैंण, चमोली
17.	श्री राजेश सिंह/ऊधमसिंह नगर	रा0पा0, बरम, पिथौरागढ़
18.	श्री प्रणव रावत/उत्तरकाशी	रा0पा0, जोशीमठ, चमोली
19.	सुश्री रीना रानी/हरिद्वार	रा0पा0, खटीमा, ऊधमसिंह नगर

2. उपरोक्तानुसार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित प्रवक्ताओं की सेवाएं "उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली, 2009" के संगत सेवा नियमों तथा ऐसी समस्त सेवा शर्तों के आधार पर होगी, जो समय–समय पर शासन द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(2.1) उक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है। यदि स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं प्रागवृत्त सत्यापन, आरक्षित श्रेणी सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों के सत्यापन आदि में कोई प्रतिकूल तथ्य/रिपोर्ट प्राप्त होती है, तो सम्बन्धित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

(2.2) सम्बन्धित प्रवक्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह इस विज्ञप्ति पत्र जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या सम्बन्धित संस्थानों में उपलब्ध कराते हुए प्राविधिक शिक्षा निदेशालय, श्रीनगर एवं शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2.3) परिवीक्षा के दौरान नवचयनित प्रवक्ताओं द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।

(2.4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, श्रीनगर, पौड़ी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपरोक्त अभ्यर्थियों के चरित्र सत्यापन कराने के उपरान्त ही सम्बन्धित संस्थानों में योगदान सुनिश्चित कराया जायेगा।

3. तैनाती स्थल/संस्थान में रिपोर्ट करने के उपरान्त निम्न सूचनाएं एवं प्रमाण–पत्र शासन में प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे, तदोपरान्त ही योगदान सूचना स्वीकार की जायेगी :–

(3.1) मुख्य चिकित्सा अधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

(3.2) समस्त चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।

(3.3) अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।

(3.4) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ पत्र।

(3.5) इण्डियन आफिशियल सीक्रेट एक्ट–1923 के प्राविधानों को पढ़ें जाने का प्रमाण–पत्र।

(3.6) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों, किन्तु उनके सम्बन्धित न हों, के द्वारा जारी प्रमाण–पत्र।

(3.7) शैक्षिक योग्यता, आयु एवं जाति से सम्बन्धित मूल प्रमाण–पत्र एवं उसकी एक प्रमाणित प्रति।

(3.8) लिखित रूप से एक "Under Taking" कि यदि पुलिस सत्यापन चरित्र एवं प्रागवृत्त के सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो नियुक्ति निरस्त समझी जाय।

(3.9) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के प्रमाण–पत्रों की जांच, सम्बन्धित जिलाधिकारियों से कराये जाने के उपरान्त यदि कोई प्रमाण–पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया गया, तो ऐसे अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन/नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी।

4. चयनित अभ्यर्थी को एक बार संस्थान आवंटित हो जाने के उपरान्त पुनः किसी अन्य संस्थान में रिक्त पद पर तैनाती किये जाने का आगामी 05 वर्ष तक अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

5. अतः उपरोक्त तालिका में उल्लिखित नवचयनित व्याख्याताओं को सूचित किया जाता है कि यदि वह उक्त पद पर नियुक्ति हेतु इच्छुक हैं, तो प्रत्येक दशा में निर्धारित अवधि तक उपरोक्त प्रस्तर–1 में निर्दिष्ट तालिका में कालम–3 में उल्लिखित तैनाती स्थल पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, अन्यथा यह समझा जायेगा कि वह उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक नहीं हैं। तद्नुसार उनके अभ्यर्थन को निरस्त किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
अपर मुख्य सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

01 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 2231/X–1–2017–04(32)/2001–श्री पी0 के0 पात्रो (मा0व0से0–2003), कार्ययोजना अधिकारी, टौंस वन प्रभाग, पुरोला, कार्ययोजना अधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता एवं वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून अपने कार्य के साथ–साथ अग्रिम आदेशों तक मालसी डियर पार्क, देहरादून का कार्य भी देखेंगे।

2. श्री पी0के0 पात्रो को उक्त कार्य हेतु कोई अतिरिक्त वेतन–भत्ते आदि अनुमन्य नहीं होंगे।

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

(स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति)

14 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 1864/VII–2/18(05)–एम0एस0एम0ई0/2017–श्री एन0सी0 पंत, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी द्वारा प्रस्तुत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 28–08–2017 पर सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–2, भाग–2 से 4 के मूल नियम 56(ग) एवं कार्मिक अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या 1844/कार्मिक–2/2002, दिनांक 09–04–2003 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री एन0सी0 पंत, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, हल्द्वानी को दिनांक 30–11–2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. निदेशक, उद्योग द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत करने की तिथि दिनांक 30–11–2017 से पूर्व यह सुनिश्चित किया जायेगा कि श्री एन0सी0 पंत पर कोई विभागीय देयताएँ लम्बित न हो तथा समस्त देयताएँ यदि कोई है, की वसूली समयान्तर्गत कर ली जाय।

अधिसूचना

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 1989/VII–2–17/471–उद्योग/2002–एतद्द्वारा उद्योग विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 2017 में इंगित प्राविधानों के अन्तर्गत नियम–5(2) में दी गयी व्यवस्थानुसार श्रीमती कौशल्या बन्धु, संयुक्त निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड को विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों के आधार पर उद्योग विभाग में अपर निदेशक, उद्योग वेतनमान (स्तर–13, वेतन मैट्रिक्स ₹ 1,18,500–2,14,100) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पदोन्नति के फलस्वरूप श्रीमती कौशल्या बन्धु को अपर निदेशक, उद्योग के पद पर उद्योग निदेशालय, देहरादून में तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,
मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–1

विज्ञप्ति / पदोन्नति

18 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 807 / XX(1)-2017-3(12)2014–उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक वेतनमान ₹ 15600–39100, ग्रेड पे ₹ 5400 (पुनरीक्षित) के पद पर प्रोन्नति कोटे के चयन वर्ष 2014–15 तथा वर्ष 2015–16 की रिक्तियों के सापेक्ष उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 28–07–2016 में लिये गये निर्णय के आधार पर प्राप्त संस्तुति के क्रम में स्थायी पुलिस निरीक्षकों को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किये जाने विषयक आदेश संख्या 950/xx-1/2016-3(12)2014, दिनांक 29 जुलाई, 2016 निर्गत किये गये।

2. उत्तराखण्ड पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या डीजी–एक–154–2015 दिनांक 18 अगस्त, 2017 में प्राप्त निरीक्षकों की संशोधित वरिष्ठता सूची के अनुसार लोक सेवा आयोग को अधियाचन प्रेषित किया गया। तद्क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में सम्पन्न चयन समिति की बैठक दिनांक 08–10–2017 में लिए गये निर्णयानुसार प्राप्त संस्तुति के आधार पर उक्त संदर्भित आदेश दिनांक 29 जुलाई, 2016 के प्रस्तर–1 की तालिका के क्रमांक–1, 2, 3 व 4 पर उल्लिखित निम्न अधिकारियों को पुलिस निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर उनसे आसन्न कनिष्ठ की पदोन्नति तिथि से नोशनल रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0सं0	पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु संस्तुत किये गये अधिकारियों का नाम	चयन वर्ष	अभ्युक्ति
1.	श्री परीक्षित कुमार	2006–07	श्री परीक्षित कुमार से आसन्न कनिष्ठ श्री प्रताप सिंह पांगती की निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 28–01–2009 से नोशनल रूप से।
2.	श्री हरीश सिंह मेहरा	2014–15	श्री हरीश सिंह मेहरा से आसन्न कनिष्ठ श्री वीरेन्द्र सिंह रावत की निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 28–11–2014 से नोशनल रूप से।
3.	श्री पंकज गैरोला	2014–15	श्री पंकज गैरोला से आसन्न कनिष्ठ श्री वीरेन्द्र सिंह रावत की निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 28–11–2014 से नोशनल रूप से।
4.	श्री दिनेश चन्द्र ढौंडियाल	2014–15	श्री दिनेश चन्द्र ढौंडियाल से आसन्न कनिष्ठ श्री कान्ति बल्लभ पाण्डे की निरीक्षक से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदोन्नति की तिथि दिनांक 28–11–2014 से नोशनल रूप से।

3. उक्त पदोन्नति इस शर्त / प्रतिबन्ध के अधीन है कि नोशनल पदोन्नत के उपरान्त पदोन्नत किये जा रहे उक्त कार्मिकों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल तथ्य भविष्य में प्रकाश में आता है, तो इन कार्मिकों की पदोन्नति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त कर दी जायेगी।

4. उपरोक्त कार्मिकों को उनकी नोशनल पदोन्नति की तिथि से वास्तविक पदोन्नति की तिथि की अवधि का वेतन निर्धारण प्राकल्पिक रूप से किया जायेगा तथा उक्त अवधि का एरियर देय नहीं होगा। पूर्व में निर्गत आदेश दिनांक 29 जुलाई, 2016 के शेष प्राविधान यथावत रहेंगे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

सिंचाई विभाग

विज्ञप्ति/पदोन्नति

29 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 3165/II(1)-2017-01(42)(430)/2012—नियमित चयनोपरान्त श्री संजीव जैन, अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 12— ₹ 78800—208200 में अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) के दिनांक 31—12—2017 के अपराह्न में रिक्त हो रहे पद के सापेक्ष पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2. श्री जैन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रख जायेगा। श्री जैन द्वारा पदोन्नति के पद पर कार्यभार उक्त पद के वास्तविक रूप से रिक्त होने पर ही ग्रहण किया जायेगा।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

29 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 3218/II(1)-2017-01(73)/2017—नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री आनन्द सिंह बृजवाल, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) को वेतनमान मैट्रिक्स लेवल 13क— ₹ 131100—216600 में मुख्य अभियन्ता स्तर—2 (सिविल) के पद पर पदोन्नति करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। नवप्रोन्नत अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता स्तर—2, अल्मोड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. श्री बृजवाल को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 06 माह की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

कार्मिक अनुभाग—1

विज्ञप्ति/नियुक्ति

01 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 03/XXX-1-18-12(42)/2001—भारत सरकार द्वारा चयन श्रेणी वेतनमान में 03 रिक्तियों के निर्धारण की औपचारिक स्वीकृति की प्रत्याशा में भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम—3 में अंकित तिथि से भारतीय प्रशासनिक सेवा के चयन श्रेणी अपुनरीक्षित वेतनमान ₹ 37,400—67,000 + ग्रेड पे ₹ 8700/— (पे मैट्रिक्स लेवल—13) में नियुक्त किया जाता है :—

क्रमांक	अधिकारी का नाम	अनुमन्यता की तिथि
1	2	3
1.	डा0 पंकज कुमार पाण्डेय	01—01—2018
2.	डा0 रंजीत कुमार सिन्हा	01—01—2018
3.	श्री एस0ए0 मुरूगेशन	01—01—2018

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

गृह अनुभाग–05

अधिसूचना

04 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 12/XX(5)/18-01(अर्द्ध0सै0) 2016–श्री राज्यपाल महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 वर्ष, 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) तथा धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन सैनिक कल्याण अनुभाग द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1196/XX(5)/16–01(अर्द्ध0सै0)/2016 दिनांक 22–12–2016 के क्रम में उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन यह घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि की लोक प्रयोजनार्थ जिला पिथौरागढ़ के ग्राम ढूगांतोली में सशस्त्र सीमा बल की 55वीं वाहिनी सीमा चौकी ढूगांतोली की स्थापना हेतु 0.251 है0 निजी भूमि की आवश्यकता है। अतः पिथौरागढ़ के कलेक्टर को निर्देश देते है कि उक्त का भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करें।

चूँकि, श्री राज्यपाल महोदय की यह राय है कि यह मामला अत्यावश्यक है, इसलिए उक्त अधिनियम की धारा 40 की उपधारा (4) के अधीन श्री राज्यपाल महोदय अग्रेत्तर यह निर्देश देते हैं कि यद्यपि धारा 23 के अधीन कोई अभिनिर्णय नहीं दिया गया है तथापि उक्त लोक प्रयोजनार्थ पिथौरागढ़ के कलेक्टर धारा 21 की उपधारा (1) में उल्लिखित सूचना के प्रकाशन से 15 दिन के अवसान पर नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर कब्जा ले सकते हैं:–

अनुसूची

जिला	परगना	मौजा	प्लाट संख्या	क्षेत्रफल (है0)
1	2	3	4	5
पिथौरागढ़	अस्कोट	ढूगांतोली	2693	0.024
			2694	0.011
			2695	0.005
			2696	0.003
			2697	0.005
			2698	0.016
			2699	0.018
			2700	0.011
			2701	0.015
			2702	0.023
			2703	0.010
			2704	0.013
			2705	0.016
			2706	0.004
			2707	0.009
			2708	0.011

1	2	3	4	5
			2709	0.001
			2710	0.003
			2711	0.013
			2712	0.005
			2713	0.008
			2714	0.004
			2715	0.019
			2717	0.004
			योग–24	0.251

टिप्पणी–भूमि का क्षेत्रफल व अन्य विवरण कलैक्टर पिथौरागढ़ के कार्यालय में हितवद्ध व्यक्ति द्वारा देखा जा सकता है।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

नियुक्ति / विज्ञप्ति

19 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1137 / XLII–1 / 2017–04(21) 2012–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग में सहायक निदेशक के पद पर नियुक्ति हेतु संस्तुत किये गये अभ्यर्थी श्री पदमाकर मिश्र पुत्र स्व0 श्री रामदुलारे मिश्र, ग्राम महमूदपुर, पत्रा0–करमदेवा, जनपद गोरखपुर, उत्तर प्रदेश को सहायक निदेशक के पद पर वेतनमान 56100–177500 (लेवल–10) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नांकित शर्तों के अधीन अस्थायी / औपबन्धिक आधार पर नियुक्त करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा काल पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(i) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान के अतिरिक्त शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी देय होंगे।

(ii) यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी एवं औपबन्धिक है। यदि अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन की रिपोर्ट, स्थाई निवास प्रमाण–पत्र तथा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण–पत्रों, आदि के सत्यापन के उपरान्त फर्जी पाये जाते है अथवा कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो नियुक्ति स्वतः ही समाप्त समझी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में विधिक रूप से किसी भी मा0 न्यायालय में अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नहीं होगा तथा वे किसी भी मा0 न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होंगे।

(iii) उक्त अभ्यर्थी की सेवायें उत्तराखण्ड शैक्षिक (संस्कृत शिक्षा संवर्ग) सेवा नियमावली, 2011 तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होंगी।

(iv) नियुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में दायर रिट याचिका (पी0आई0एल0) संख्या 67/2011, रिट याचिका संख्या–61/2016, रिट याचिका संख्या–05/2016, रिट याचिका संख्या–90/2016, रिट याचिका संख्या–438/2015, रिट याचिका संख्या–71/2014, रिट याचिका संख्या–76/2015, रिट याचिका संख्या–81/2015, रिट याचिका संख्या–95/2015, रिट याचिका संख्या–83/(एस0बी0)/2015, रिट याचिका संख्या–96/(एस0बी0)/2015, रिट याचिका संख्या–105/(एस0बी0)/2015, रिट याचिका संख्या–477/(एस0बी0)/2015, तथा लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 23–08–2017 (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

(v) निदेशक, डॉ0 आर0एस0 टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल के पत्र संख्या 1266/चार–31/2017 टी0सी0यू0 दिनांक 23–11–2017 में उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम/नियमों के अनुसार तथा कार्मिक विभाग के पत्र संख्या 1655/XXX–1–17–25(1)/2017, दिनांक 12–12–2017 में दिये गये दिशा–निर्देशानुसार वांछित प्रमाण–पत्रों सहित उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18–12–2017 से 12 सप्ताह का प्रस्तावित आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, संस्कृत शिक्षा विभाग, देहरादून के कार्यालय में निम्न प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करेंगे :–

1. शैक्षिक योग्यता एवं आयु सम्बन्धी मूल प्रमाण–पत्र एवं उनकी एक–एक छायाप्रति।
2. राज्य चिकित्सा परिषद् द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।
3. अभ्यर्थी द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा (यदि कोई हो) से सम्बन्धित विभाग/प्रतिष्ठान द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र।
4. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन एवं शैक्षिक अर्हता प्रमाण–पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है तो उसकी नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा।
5. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण–पत्र, जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के सम्बन्धी/रिश्तेदार न हों।
6. अपनी चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा पत्र।
7. विवाहित होने की स्थिति में एक से अधिक जीवित पत्नी न होने का घोषणा पत्र/शपथ पत्र।

(vi) नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु की गयी यात्रा के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

आज्ञा से,

उषा शुक्ला,
सचिव।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1

सामुदायिक रेडियों स्टेशनों हेतु प्रोत्साहन नीति के सम्बन्ध में

28 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 2502/XVIII–(2)/17–15(22)/2016–

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तराखण्ड।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामुदायिक रोडियों का तात्पर्य एक ऐसी रेडियों सेवा से है, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो और जो लोगों को उनकी भाषा में स्थानीय परिप्रेक्ष्य में वांछित जानकारियाँ उपलब्ध करवाये व स्थानीय समस्याओं के निदान में सहायता करे। सामुदायिक रेडियों जन–जागरूकता का एक सशक्त माध्यम हो सकता है और आपदा प्रबन्धन में जागरूकता के महत्व के दृष्टिगत इस माध्यम का उपयोग आपदा से पहले आपदा के समय व आपदा के बाद सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी होने के कारण लोग सामुदायिक रेडियों स्टेशन के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और इसी के कारण इनके माध्यम से प्रसारित की जा रही जानकारियों की लोगों में प्रायः अधिक स्वीकार्यता होती है। सामुदायिक रेडियों द्वारा समुदाय में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता को स्वीकार करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियों स्टेशन स्थापित करने के लिये लाइसेंस प्रदान करने की नीति को अत्यन्त सरल बनाया गया है ताकि शैक्षणिक संस्थानों, सिविल सोसाईटी और स्वैच्छिक संगठन के साथ–साथ अन्य गैर–लाभकारी संगठनों के द्वारा सामुदायिक रेडियों स्टेशन स्थापित करके लोगों के मध्य विभिन्न जानकारियों का प्रचार–प्रसार किया जा सके।

उत्तराखण्ड राज्य अपनी स्थालाकृति, भूगर्भीय संरचना तथा अत्यधिक मौसमी वर्षा के कारण विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। विगत के अनुभव बताते हैं कि निरन्तरता में आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिये सभी के द्वारा आपदा सुरक्षा उपायों का स्वैच्छिक अनुपालन करना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे में सही जानकारियों को सही प्रारूप व भाषा में दूर–दराज क्षेत्रों तक पहुँच पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। फिर यहाँ पहाड़ों में पहुँच से जुड़ी कठिनाईयों के कारण इन जानकारियों को हर जगह तक आसानी से पहुँचा पाना भी सरल नहीं है। ऐसे में सामुदायिक रेडियो, आपदा प्रबन्धन चक्र के सभी चरणों में आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण, प्रतिवादन, संचार, सुरक्षित निर्माण खोज एवं बचाव व अन्य से जुडी विभिन्न जानकारियों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिये एक सशक्त माध्यम के रूप में सामने आता है।

अतः उत्तराखण्ड राज्य में सामुदायिक रेडियों की गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ–साथ नये सामुदायिक रेडियों केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा पूर्व में स्थापित केन्द्रों को सुदृढ़ करने हेतु "सामुदायिक रेडियों स्टेशनों हेतु प्रोत्साहन नीति" को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सामुदायिक रेडियों केन्द्रों की स्थापना हेतु लाइसेंस प्राप्त संस्थान/सामुदायिक संस्थायें जो राज्य में सामुदायिक रेडियों केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं या जिनके द्वारा राज्य में इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किये गये हैं उन्हें उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं को गुणवत्तापरक व प्रभावी बनाने के साथ–साथ इन सेवाओं से राज्य के सुदुरवर्ती क्षेत्रों को आच्छादित करने के लिए आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सहायता एवं आवश्यक सुविधायें निम्ननुसार उपलब्ध करवायी जायेगी :–

1.1 नये सामुदायिक रेडियों केन्द्र की स्थापना के लिए सम्बन्धित संस्थानों/सामुदायिक संस्थानों को अधिकतम् ₹ 5.00 लाख की सीमा तक कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत राशि एकमुश्त अनुदान के रूप में उपलब्ध करवायी जायेगी।

1.2 अनुदान प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित संस्था को वांछित अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

1.3 राज्य सरकार द्वारा दी जा रही इस सहायता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामुदायिक रेडियों केन्द्रों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से विशेष रूप में राज्य का सुदुरवर्ती क्षेत्र पूरी तरह से आच्छादित हो। अतः संसाधनों के सीमित होने की स्थिति में ऐसे जनपदों में सामुदायिक रेडियों केन्द्र स्थापित करने में इच्छुक संस्थानों/सामुदायिक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो आपदा की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हो और जहाँ पहले से सामुदायिक रेडियों केन्द्र संचालित नहीं हों।

1.4 किसी आपदा से प्रभावित होने के उपरान्त यथाशीघ्र पुनः प्रभावी रूप से सेवायें दे सकने के दृष्टिगत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सामुदायिक रेडियों केन्द्र को अपने सभी संसाधनों का अनिवार्य रूप से आपदा बीमा करवाना होगा।

1.5 सरकार से सहायता प्राप्त करने से पूर्व सम्बन्धित संस्थान/संस्था द्वारा संसुगत व विभाग द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थान से यह पुष्टि करवानी होगी कि उनके द्वारा सामुदायिक रेडियों केन्द्र की स्थापना हेतु चयनित स्थान भू–वैज्ञानिक दृष्टि से सुरक्षित है व इस हेतु बनाये जा रहे या बनाये गये भवन के निर्माण में भूकम्प सुरक्षित निर्माण तकनीक का उपयोग न होने की स्थिति में सम्बन्धित भवन का भूकम्पीय सुदृढ़ीकरण करवाने के उपरान्त उक्त का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित संस्थान से प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करवाना होगा।

1.6 राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित संस्थान/संस्था को स्थानीय स्तर पर न्यूनतम 03 वर्षों तक कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा अथवा इस अवधि से स्थानीय स्तर पर कार्यरत संस्था के सहयोग से रेडियों स्टेशन स्थापित किया जाना होगा।

1.7 राज्य में स्थापित सामुदायिक रेडियों केन्द्रों को आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान करने तथा इनकी गतिविधियों में निरन्तरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा राज्य सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार के विभागों से समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रचार हेतु उपलब्ध बजट के एक नियत अंश का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर जनपद स्तर पर स्थापित सामुदायिक रेडियों स्टेशनों को विज्ञापन देने के लिए किया जाये। इस प्रकार के विज्ञापनों के लिए राज्य सरकार को सूचना व जन–सम्पर्क विभाग द्वारा अनुमन्य दरें मान्य होगी।

1.8 सामुदायिक रेडियों स्टेशनों द्वारा आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित जानकारियों को जन मानस तक पहुँचाने के लिए जनपद व राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सहयोग दिया जायेगा व यथा–आवश्यकता उनके द्वारा उपलब्ध करवायी गयी आपातकालीन सूचनाओं व जानकारियों के प्रसारण को सर्वोच्च वरीयता दी जायेगी। ऐसा किया जाना आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुरूप अनिवार्य है।

1.9 आपदा प्रबन्धन अधिनियम द्वारा आपातकालीन सूचनाओं के वरीयता के आधार पर प्रसारण करने की अवहेलना का दोषी पाये जाने पर विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को उक्त सामुदायिक रेडियों केन्द्र का लाइसेन्स निरस्त करने की संस्तुति करने के लिये स्वतंत्र होगा।

1.10 राज्य सरकार के सहायता प्राप्त सामुदायिक रेडियों स्टेशनों को उनके कुल प्रसारण समय का 10 प्रतिशत समय आपदा प्रबन्धन विषयक प्रचार–प्रसार हेतु आरक्षित करना होगा। इस आरक्षित समय में प्रसारित की जाने वाली जानकारियाँ सुसंगत प्रारूप में सम्बन्धित सामुदायिक रेडियो केन्द्र को उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का होगा।

1.11 राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सामुदायिक रेडियों केन्द्र को हर दूसरे माह में उसके द्वारा विगत 02 माह में प्रसारित कार्यक्रमों की कुल समयावधि का विवरण सम्बन्धित जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करवाना होगा।

1.12 आपदा की स्थिति में विद्युत आपूर्ति के बाधित होने से सामुदायिक रेडियों केन्द्रों के संचालन में आने वाले व्यवधान के दृष्टिगत राज्य में स्थापित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सौर ऊर्जा चलित बनाने के लिये वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संयत्र आवंटित करने की संस्तुति की जायेगी व इस हेतु विभाग के साथ समन्वयन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित करवाया जायेगा कि इन सामुदायिक रेडियों केन्द्रों को अन्य अनुमन्य सुविधायें भी दी जायेगी।

1.13 राज्य सरकार के किसी विभाग से प्राप्त अनुदान/सहायता के आधार पर विकसित किये गये जागरूकता संसाधनों पर सम्बन्धित सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को प्रसारण हेतु उपलब्ध करवायी जानी होगी।

1.14 राज्य में स्थापित समस्त सामुदायिक रेडियों स्टेशनों को भारत सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियों के प्रसारण हेतु प्रख्यापित नीतिगत दिशा–निर्देशों तथा समय–समय उक्त हेतु जारी संशोधनों के अनुरूप प्रसारण व अपनी अन्य गतिविधियों का संचालन करना होगा।

1.15 सामुदायिक रेडियो केन्द्र व विभाग के मध्य मतभेद की स्थिति में विवादों के निस्तारण के लिए प्राविधान सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करने वाली संस्थाओ के साथ किये जाने वाले एम0ओ0यू0 में रखा जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या 192 मतदेय/वित्त अनु0–5/2017, दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

आज्ञा से,

अमित सिंह नेगी,
सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

29 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1828/XXVIII–2–2015/04(452) 2001–गर्भधारण पूर्व प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा–32 के अधीन भारत सरकार द्वारा प्रख्यापित गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध) संशोधन नियमावली, 2017 की धारा 19(ए) की उपधारा 2(ए) एवं 2(बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल महोदय, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को राज्य अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त अधिनियम की धारा 21(ii) के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली अपीलों का निस्तारण उपरोक्तानुसार नियुक्त राज्य अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग

अधिसूचना

22 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 2421/XVII-3/2017–03(13)/2017–श्री राज्यपाल महोदय, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समूह "ग" सेवा नियमावली, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समूह–'ग' कार्मिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1)	इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समूह–'ग' कार्मिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2017 है।
		(2)	यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम. 5 का संशोधन	2.	उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समूह–'ग' कार्मिक सेवा नियमावली, 2016 (जिसे यहां आगे मूल नियमावली कहा गया है) में स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम			स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम		
5. भर्ती का स्रोत			5. भर्ती का स्रोत		
क्र.सं.	पदनाम	भर्ती का स्रोत या पदोन्नति का मापदण्ड	क्र.सं.	पदनाम	भर्ती का स्रोत या पदोन्नति का मापदण्ड
–	–	–	6.	लेखाकार	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक लेखाकारों में से जिन्होने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में न्यूनतम 05 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो, में से अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
–	–	–	7.	सहायक लेखाकार	शत–प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से।

नियम 8 का संशोधन

3. मूल नियमावली के वर्तमान नियम 8 को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तंम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8. आयु सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होगी।	8. आयु सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सहायक लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होगी।

नियम 9 का संशोधन

4. मूल नियमावली के वर्तमान नियम 9 (क) को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम			स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम		
क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हता	क्र.सं.	पदनाम	शैक्षिक अर्हता
–	–	–	3.	सहायक लेखाकार	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक उपाधि अथवा बी.बी.ए. अथवा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एकाउन्टेन्सी तथा भारत सरकार के संस्थान डी.ओ.ई.ए.सी.सी. द्वारा प्रदत्त 'ओ' लेवल प्रमाण–पत्र के साथ कम्प्यूटर पर हिन्दी में 5000 की–डिप्रेशन प्रतिघण्टा की गति होनी आवश्यक है।

परिशिष्ट–'क' का संशोधन

5. मूल नियमावली के वर्तमान परिशिष्ट 'क' को नीचे स्तम्भ–1 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा; अर्थात :–

स्तम्भ–1
वर्तमान नियम

परिशिष्ट 'क'
(नियम–4 और 22 देखिए)
उत्तराखड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समूह–'ग' के पदनाम, पदों की संख्या और वेतनमान

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		निदेशालय स्तर पर स्वीकृत पद	जिला स्तर पर स्वीकृत पद	योग	
1.	प्रशासनिक अधिकारी	01	–	01	₹ 9300-34800 ग्रेड-वेतन ₹ 4600
2.	प्रधान सहायक	01	04	05	₹ 5200-20200 ग्रेड-वेतन ₹ 4200
3.	वरिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	03	08	11	₹ 5200-20200 ग्रेड-वेतन ₹ 2800
4.	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	02	13	15	₹ 5200-20200 ग्रेड-वेतन ₹ 2800
5.	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	04	08	12	₹ 5200-20200 ग्रेड- वेतन ₹ 2000
–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–
–	योग	11	33	44	–

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

परिशिष्ट 'क'
(नियम–4 और 22 देखिए)
उत्तराखड अल्पसंख्यक कल्याण विभाग समूह–'ग' के पदनाम, पदों की संख्या और वेतनमान

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		निदेशालय स्तर पर स्वीकृत पद	जिला स्तर पर स्वीकृत पद	योग	
1.	प्रशासनिक अधिकारी	01	–	01	स्तर–7 (₹ 44,900–1,42,400)
2.	प्रधान सहायक	01	04	05	स्तर–6 (₹ 35,400–1,12,400)
3.	वरिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	03	08	11	स्तर–5 (₹ 29,200–92,300)
4.	सहायक अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी	02	13	15	स्तर–5 (₹ 29,200–92,300)
5.	कनिष्ठ सहायक (कम्प्यूटर दक्ष)	04	08	12	स्तर–3 (₹ 21,700–69,100)
6.	लेखाकार	01	–	01	स्तर–6 (₹ 35,400–1,12,400)
7.	सहायक लेखाकार	02	–	02	स्तर–5 (₹ 29,200–92,300)
योग	–	14	33	47	–

आज्ञा से,

कै0 आलोक शेखर तिवारी,
अपर सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification No. 2421/XVII-3/2017-03(13)/2017**, Dehradun, dated December 22, 2017 for general information:

NOTIFICATION

December 22, 2017

No. 2421/XVII-3/2017-03(13)/2017--In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor is pleased to make the following rules with a view to further amend "the Uttarakhand Minority Welfare Department Group 'C' Employee Service Rules, 2016:-

"The Uttarakhand Minority Welfare Department Group 'C' Employee Service (Amendment) Rules, 2017"

Short title and commencement 1- (1) These rules may be called "The Uttarakhand Minority Welfare Department Group 'C' Employee Service (Amendment) Rules, 2017".

(2) It shall come into force at once.

Amendment of Rule 5 2- In the Uttarakhand Minority Welfare Department Group 'C' Employee Service Rules, 2016" (herein after referred as Principal rules) for the existing rule 5 set out in column-1 below, the rule set out in column-2 shall be substituted ; namely: -

	Column-1 **Existing Rule**			**Column-2** **Rule Hereby Substituted**		
	5- Source of Recruitment			**5- Source of Recruitment**		
	Sl. No.	**Designa-tion**	**Source of Recruitment or Criteria for promotion**	**Sl. No.**	**Designation**	**Source of Recruitment or Criteria for promotion**
	-	-	-	6.	Accountant	By promotion from amongst substantively appointed Assistant Accountants, who, on the first day of the recruitment year, has completed 05 years of service in that capacity, on the basis of seniority rejecting unfit through the selection committee.
	-	-	-	7.	Assistant Accountant	100 percent direct recruitment through commission.

Amendment of Rule 8

3- In the principal rules, for the existing rule 8 set out in column-1 below, the rule set out in column-2 shall be substituted ; namely: -

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule Hereby Substituted
8- Age For direct recruitment on the post of Assistant Minority Welfare Officer, it is necessary that the candidate must have attained age of 21years and maximum 42years on the first day of the selection year.	**8- Age** For direct recruitment on the post of Assistant Minority Welfare Officer and Assistant Accountant, it is necessary that the candidate must have attained age of minimum 21years and maximum 42years on the first day of the recruitment year.

Amendment of the Rule 9

4- In the principal rules, for the existing rule 9 (a) set out in column-1 below, the rule set out in column-2 shall be substituted ; namely: -

Column-1 Existing Rule			Column-2 Rule Hereby Substituted		
Sl. No.	**Designa -tion**	**Educational Qualification**	**Sl. No.**	**Designation**	**Educational Qualification**
–	–	–	3.	Assistant Accountant	Bachelor degree with commerce from any University established under law in India or post graduate diploma in accountancy and 'O' level certificate with 5000 KDPH speed in Hindi on computer awarded by institute of Govt. of India "Department of Electronics and Accreditation of Computer Course (DOEACC)".

Amendment of the Appendix (A)

5- In the principal rules, for the existing Appendix 'A' set out in column-1 below, the Appendix 'A' set out in column-2 shall be substituted ; namely: -

Column-1 Existing Rule	Column-2 Rule Hereby Substituted
Appendix (A) (See Rule 4 and 22) Name of post, no. of posts and pay scales in Uttarakhand Minority Welfare Department	Appendix (A) (See Rule 4 and 22) Name of post, no. of posts and pay scales in Uttarakhand Minority Welfare Department

Sl. No.	Name of posts	Number of posts			Pay scale	Sl. No.	Designation	Number of posts			Pay scale
		Posts Sanctioned at directorate level	Posts Sanctioned at district level	Total				Posts Sanctioned at directorate level	Posts Sanctioned at district level	Total	
1.	Administrative Officer	01	-	01	₹ 9300-34800 Grade Pay ₹ 4600/-	1.	Administrative Officer	01	-	01	Level-7 (₹ 44900-142400/-)
2.	Head Assistant	01	04	05	₹ 5200-20200 Grade Pay ₹ 4200/-	2.	Head Assistant	01	04	05	Level-6 (₹ 35400-112400/-)
3.	Senior Assistant (Computer Efficient)	03	08	11	₹ 5200-20200 Grade Pay ₹ 2800/-	3.	Senior Assistant (Computer. Efficient)	03	08	11	Level-5 (₹ 29200-92300/-)
4.	Assistant Minority Welfare Officer	02	13	15	₹ 5200-20200 Grade Pay ₹ 2800/-	4.	Assistant Minority Welfare Officer	02	13	15	Level-5 (₹ 29200-92300/-)
5.	Junior Assistant (Computer Efficient)	04	08	12	₹ 5200-20200 Grade Pay ₹ 2000/-	5.	Junior Assistant (Computer Efficient)	04	08	12	Level-3 (₹ 21700-69100/-)
-	-	-	-	-	-	6.	Accountant	01	-	01	Level-8 (₹ 35400-112400/-)
-	-	-	-	-	-	7.	Assistant Accountant	02	-	02	Level-5 (₹ 29200-92300/-)
	Total	11	33	44			Total	14	33	47	

By Order,

Capt. ALOK SEKHAR TIWARI,
Additional Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 हिन्दी गजट/10—भाग 1—2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी, 2018 ई0 (माघ 07, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

कार्यालय आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

08 जनवरी, 2018 ई0

पत्रांकः 4805/आयुक्त राज्य कर/उत्तरा0/फार्म–अनु0/2017–18/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली–2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित प्रान्तीय प्रपत्र फार्म–11 जिनके खो जाने/चोरी हो जाने/मिसिंग हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचनाएँ प्राप्त हुई हैं, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करता हूँ :–

क्र0 सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों/स्टैम्प की सीरीज व क्रमांक	फार्म/स्टैम्प को अवैध घोषित किये जाने का कारण
1.	सर्वश्री कपारो इन्जीनियरिंग इण्डिया लि0 पंतनगर टिन–05007975753	प्रारूप–XI (03)	U.K.VAT-C-2009 342513 To 342515	खोने के कारण

विपिन चन्द्र,
अपर आयुक्त राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय राज्य कर आयुक्त, उत्तराखण्ड

(विधि–अनुभाग)

08 जनवरी, 2018 ई0

समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर (कार्य0/प्रव0), राज्य कर,
देहरादून/हरिद्वार/रुड़की/रूद्रपुर/हल्द्वानी सम्भाग।

पत्रांक 4813/रा0कर आयु0 उत्तरा0/रा0क0मु0/विधि–अनुभाग/17–18/देहरादून–उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 29/2018/9(120)/XXVII(8)/2017,दिनांक 04–01–2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या 983 दिनांक 23 नवम्बर, 2017 में अग्रेत्तर संशोधन किया जाना अधिसूचित किया गया है।

उपरोक्त अधिसूचना की प्रति इस आशय से प्रेषित है कि उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ समस्त कर–निर्धारण अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही क़रने हेतु तथा बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना

04 जनवरी, 2018 ई0

संख्या 29/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-1–चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 10 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्तशक्तियों का प्रयोग करते हुए और परिषद् की सिफारिशों के आधार पर उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग–8 की अधिसूचना सं0 983/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 23 नवम्बर, 2017 के द्वारा यथा संशोधित अधिसूचना सं0 513/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं यथा :–

उक्त अधिसूचना में, प्रारम्भिक पैराग्राफ में–

(क) खण्ड (एक) में "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) खण्ड (तीन) में "आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "वस्तुओं की कर योग्य आपूर्ति के आवर्त का आधा प्रतिशत" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2018 से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the **Notification** No. **29/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-1**, Dehradun, dated January 04, 2018 for general information:

NOTIFICATION

January 04, 2018

No. 29/2018/9(120)/XXVII(8)/2017/CT-1--WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

Now, THEREFORE, In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 10 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendation of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand Finance Section-8 No. 513/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 29th June, 2017 as amended by notification No. 983/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 dated 23rd November, 2017 namely :--

In the said notification, in the opening paragraph,--

(a) in clause (i), for the words "one percent" the words "half percent" shall be substituted;

(b) in clause (iii), for the words "half percent of the turnover", the words "half percent of the turnover of taxable supplies of goods" shall be substituted.

2- This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2018.

By Order,

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

विपिन चन्द्र,
एडिशनल कमिश्नर राज्य कर,
मुख्यालय, देहरादून।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर, चम्पावत

कार्यालयादेश

30 अक्टूबर, 2017 ई0

पत्रांकः 3544 निलम्बन/2016–निम्नलिखित चालकों के चालन अनुज्ञप्ति का निलम्बन तीन माह हेतु, वाहन दुर्घटनाओं पर नियन्त्रण एवं जनसुरक्षा को दृष्टिगत ओवरलोडिंग व शराब पीकर वाहन चलाना आदि अभियोगों में संलिप्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के दिशा–निर्देशों के अनुपालन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानानुसार अद्योहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता हैः–

क्र0 सं0	लाइसेन्सधारक का नाम व पता	लाइसेंस संख्या/श्रेणी एवं वैधता	संस्तुतिकर्ता अधिकारी	अभियोग	निलम्बन अवधि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री नितिन खर्कवाल पुत्र श्री जगदीश खर्कवाल, म0नं0–113, निवासी हथरंगियामीनाबाजार, लोहाघाट, चम्पावत	UK-0320080031164, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT 01.10.2017 से 31.12.2017)/ट्रांस TR, वैधता 05.09.2019	टी0आई0, चम्पावत	क्षमता से अधिक भार ले जाना (ओवरलोड)	01.10.2017 से 31.12.2017

1	2	3	4	5	6
2.	श्री नीरज वर्मा पुत्र श्री रामकिशन सिंह, निवासी वार्ड नं0 6, खटीमा, ऊ0सिं0 नगर	UK-0320080004780, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT)/ट्रांस (TR), वैधता 27.04.2020	टी0आई0, चम्पावत	ओवर लोड खतरनाक संचालन	01.10.2017 से 31.12.2017
3.	श्री सागर सिंह पुत्र श्री त्रिलोक सिंह, निवासी नायकगोठ, टनकपुर, चम्पावत	UK-0320150026660, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT) ट्रांस/पी0एस0वी0 बस (TR), वैधता 08.04.2018	टी0आई0, चम्पावत	क्षमता से अधिक सवारी ले जाना	01.10.2017 से 31.12.2017
4.	श्री इमरान पुत्र श्री जमीर खान, निवासी वार्ड न0 3, टनकपुर, चम्पावत	UK-0320140020545, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT)/वैधता 25.06.2034	प्रवर्तन दल, टनकपुर, चम्पावत	एम वी एक्ट का उल्लंघन	01.10.2017 से 31.12.2017
5.	श्री महेश चन्द्र पुत्र श्री चिन्तामणी, निवासी थ्वालखेडा, टनकपुर, जिला चम्पावत	UK-03-9144-TNK-9, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 26.06.2029	प्रवर्तन दल, टनकपुर	खतरनाक संचालन	01.10.2017 से 31.12.2017
6.	श्री विनय कुमार पुत्र श्री चन्द्र सेन, ग्राम बेला छेदा पुवैया, शाहजानपुर	UP2719920017649, हल्का वाहन (NT)/ ट्रांस (TR), वैधता 26.12.2017	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी	01.10.2017 से 31.12.2017
7.	संदीप कुमार पुत्र श्री रक्षपाल सिंह, ग्राम निमरूआ, थाना साकेत, इटावा, उ0प्र0	UP8220070006501, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT)/ट्रांस (TR), वैधता 14.01.2018	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी	01.10.2017 से 31.12.2017
8.	श्री अली मोहम्मद पुत्र श्री छोटू, निवासी विलक नगर पूडॉखां, साकेत, सीतापुर, उ0प्र0	UP34-1165-2009, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT)/ट्रांस (TR), वैधता 04.03.2018	प्रवर्तन दल, टनकपुर,	खतरनाक संचालन	01.10.2017 से 31.12.2017
9.	अमर सिंह पुत्र श्री शिव कुमार, नदन्नाखुर्द, पो0 व तह0 फतेहपुर, बाकबांकी, उ0प्र0	UP-412006004463, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT)/ट्रांस (TR), वैधता 17.02.2018	प्रवर्तन दल, टनकपुर, चम्पावत	क्षमता से अधिक सवारी ले जाना	01.10.2017 से 31.12.2017
10.	कृपाल सिंह पुत्र श्री रूम सिंह, निवासी मिर्जापुर जागीर, अटमाण्डा, बरेली	UP-2520010007079, हल्का वाहन (NT), ट्रांस (TR), वैधता 27.05.2018	प्रवर्तन दल, टनकपुर, चम्पावत	ओवर लोड, संचालन	01.10.2017 से 31.12.2017
11.	श्री राजकुमार पुत्र श्री राजा राम, निवासी म0 नं0 78, भूड़ारानी, थाना बीसलपुर, बदायूँ, उ0प्र0	UP-2420170000343, हल्का वाहन (NT)/ वैधता 22.01.2037	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी	01.10.2017 से 31.12.2017
12.	श्री गोविन्द कुमार पुत्र श्री राम दास, निवासी मुसेपुर, शमसाबाद, फर्रूखाबाद	UP-7620140000517, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT)/ट्रांस (TR), वैधता 31.03.2019	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी	01.10.2017 से 31.12.2017

1	2	3	4	5	6
13.	श्री प्रदीप कुमार अवस्थी पुत्र श्री जगदीश कुमार अवस्थी, ग्राम व पो0 बिरिया मझोला, सीतापुर	UP-3420150003616, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT), वैधता 19.03.2035	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी	01.10.2017 से 31.12.2017
14.	श्री दिनेश कश्यप पुत्र श्री धर्मपाल, निवासी म0 नं0 27, गौजाजाली बिचाली, हल्द्वानी, नैनीताल	UK0420140139096, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT)/ट्रांस एवं पीएवी बस (TR), वैधता 01.09.2019	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी	01.10.2017 से 31.12.2017
15.	श्री दिनेश चन्द्र जोशी पुत्र श्री घनश्याम जोशी, निवासी पाडलीपुर मोटाहल्दू, हल्द्वानी	UK-042010004672, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT)/ट्रांस (TR), वैधता 27.03.2018	टी0आई0, चम्पावत	भार वाहन में सवारी एवं खतरनाक संचालन	01.10.2017 से 31.12.2017
16.	श्री प्रेमपाल पुत्र श्री पूरन लाल, ग्राम देवरानिया, थाना अमरिया, पीलीभीत, उ0प्र0	UP2620110002777, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT)/ट्रांस (TR), वैधता 29.01.2019	प्रवर्तन दल, टनकपुर	भार वाहन में सवारी	01.10.2017 से 31.12.2017
17.	श्री शादाब अहमद पुत्र श्री विकार अहमद, ग्राम सरदार नगर, थाना जहानाबाद, पीलीभीत, उ0प्र0	UP2620090076548, हल्का वाहन, मो0 साइकिल (NT)/ट्रांस (TR), वैधता 09.11.2019	प्रवर्तन दल, टनकपुर	क्षमता से अधिक भार ले जाना (ओवरलोड)	01.10.2017 से 31.12.2017

रश्मि भट्ट,
लाइसेंसिंग अथॉरिटी,
मोटर वाहन विभाग।

कार्यालय उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी, प्रशासन, ऊधमसिंह नगर

आदेश

11 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 94/लाइसेंस/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017–श्री मो0 नसीम पुत्र श्री कल्लू, निवासी तहरपुर, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश के चालक लाइसेंस संख्या UP2120150008562, के विरूद्ध निरर्ह/प्रति संहृत हेतु संस्तुति प्रभारी, सी0पी0यू0, पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्यालय को लाइसेंस की मूल प्रति के साथ प्राप्त हुई है। चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस कार्यालय के पत्रांक संख्या मैमो/लाइसेन्स/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017, दिनांक 15.10.2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, चालक द्वारा निर्धारित अवधि में अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है, जो पत्रावली में सुरक्षित है। प्रभारी, सी0पी0यू0 पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं चालक के सुनवाई संबंधी पत्र के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट है कि चालक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 एवं सपठित नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत दोषी है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, लाइसेंसिंग आथोरिटी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर उक्त चालक लाइसेंस संख्या UP2120150008562, को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 15.10.2017 से 03 माह हेतु निरर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

11 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 104/लाइसेंस/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017–श्री आसिफ पुत्र श्री साबिर हुसैन, निवासी काजी तोला, जहानाबाद, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के चालक लाइसेंस संख्या 94117/PBT/210, के विरूद्ध निरर्ह/प्रतिसंहृत हेतु संस्तुति प्रभारी, सी0पी0यू0, पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्यालय को लाइसेंस की मूल प्रति के साथ प्राप्त हुई है। चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस कार्यालय के पत्रांक संख्या मैमो/लाइसेन्स/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017, दिनांक 22.10.2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, चालक द्वारा निर्धारित अवधि में अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है, जो पत्रावली में सुरक्षित है। प्रभारी, सी0पी0यू0 पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं चालक के सुनवाई संबंधी पत्र के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट है कि चालक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 एवं सपठित नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत दोषी है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, लाइसेंसिंग आथोरिटी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर उक्त चालक लाइसेंस संख्या 94117/PBT/210, को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 22.10.2017 से 03 माह हेतु निरर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

11 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 106/लाइसेंस/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017–श्री सिमरजोत सिंह पुत्र श्री जीत सिंह, निवासी सिमला बहादुर, ऊधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड के चालक लाइसेंस संख्या UK0620110037125, के विरूद्ध निरर्ह/प्रतिसंहृत हेतु संस्तुति प्रभारी, सी0पी0यू0, पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्यालय को लाइसेंस की मूल प्रति के साथ प्राप्त हुई है। चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस कार्यालय के पत्रांक संख्या मैमो/लाइसेन्स/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017, दिनांक 20.10.2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, चालक द्वारा निर्धारित अवधि में अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है, जो पत्रावली में सुरक्षित है। प्रभारी, सी0पी0यू0 पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं चालक के सुनवाई संबंधी पत्र के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट है कि चालक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 एवं सपठित नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत दोषी है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, लाइसेंसिंग आथोरिटी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर उक्त चालक लाइसेंस संख्या UK0620110037125, को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 20.10.2017 से 03 माह हेतु निरर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

11 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 107/लाइसेंस/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017–श्री प्रेमपाल पुत्र श्री जानकी प्रसाद, निवासी खमरीया गोप दानी देवरीया, बरेली, उत्तर प्रदेश के चालक लाइसेंस संख्या UP2520070005487, के विरूद्ध निरर्ह/प्रतिसंहृत हेतु संस्तुति प्रभारी, सी0पी0यू0, पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्यालय को लाइसेंस की मूल प्रति के साथ प्राप्त हुई है। चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस कार्यालय के पत्रांक संख्या मैमो/लाइसेन्स/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017, दिनांक 16.10.2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, चालक द्वारा निर्धारित अवधि में अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है, जो पत्रावली में सुरक्षित है। प्रभारी, सी0पी0यू0 पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं चालक के सुनवाई संबंधी पत्र के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट है कि चालक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 एवं सपठित नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत दोषी है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, लाइसेंसिंग आथोरिटी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर उक्त चालक लाइसेंस संख्या UP2520070005487, को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 16.10.2017 से 03 माह हेतु निरर्ह (Disqualify) करता हूँ।

आदेश

11 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 113/लाइसेंस/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017–श्री लालता प्रसाद पुत्र श्री सीयाराम, निवासी हाउस नं0 106, बनडिया, किच्छा, ऊधमसिंह नगर के चालक लाइसेंस संख्या UK0620050105102, के विरूद्ध निरर्ह/प्रतिसंहृत हेतु संस्तुति प्रभारी, सी0पी0यू0, पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर द्वारा इस कार्यालय को लाइसेंस की मूल प्रति के साथ प्राप्त हुई है। चालक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, इस कार्यालय के पत्रांक संख्या मैमो/लाइसेन्स/निरर्ह/प्रतिसंहृत/2017, दिनांक 03.07.2017 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है, चालक द्वारा निर्धारित अवधि में अपना पक्ष कार्यालय में प्रस्तुत कर दिया है, जो पत्रावली में सुरक्षित है। प्रभारी, सी0पी0यू0 पुलिस विभाग, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं चालक के सुनवाई संबंधी पत्र के अवलोकन के आधार पर स्पष्ट है कि चालक मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 एवं सपठित नियमावली के नियम 21 के अन्तर्गत दोषी है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, लाइसेंसिंग आथोरिटी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर उक्त चालक लाइसेंस संख्या UK0620050105102, को मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 03.07.2017 से 03 माह हेतु निरर्ह (Disqualify) करता हूँ।

नन्द किशोर,
लाइसेंसिंग ऑथोरिटी,
मोटरयान विभाग,
ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, गढ़वाल

आदेश

15/17 नवम्बर, 2017 ई0

पत्र संख्या 1100/पंजीयन निरस्त/2017–18–वाहन संख्या UP06-4576, वाहन की पंजीयन तिथि 05.02.1999, मॉडल 1998 (ट्रक), चेसिस संख्या 359073CRQ001650, इंजन नं0 697D30CRQ106742, इस कार्यालय के अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री संजय पु0 श्री रमेश चन्द्र, निवासी कांशीरामपुर, कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल के नाम पर दर्ज है, वाहन के प्रपत्र दिनांक 07.10.2017 से कार्यालय में समर्पित है। वाहन स्वामी ने दिनांक 13.11.2017 को आवेदन–पत्र के साथ मूल चेसिस प्लेट प्रस्तुत करते हुए, अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न होने के कारण वाहन को काट कर समाप्त कर दिया गया है तथा अब अस्तित्व में नहीं है। साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः, मैं, रावत सिंह, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कोटद्वार, केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वाहन संख्या UP06-4576 का पंजीयन चिन्ह तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

रावत सिंह,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
कोटद्वार।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी

कार्यालयादेश

20 नवम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 2012/कर–पंजी/पंजीयन निरस्त/2017–18–वाहन संख्या UP06-2114 (D-VAN), के वाहन स्वामी श्री कल्याण सिंह रावत पुत्र श्री गंगा सिंह रावत, ग्राम व पो0–कुड़ीगाँव पट्टी अस्वालस्यूं, पौड़ी गढ़वाल ने दिनांक 12.05.2017 को इस आशय का प्रार्थना–पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत किया है कि उनकी वाहन संचालन योग्य नहीं रह गई है, जिस कारण वाहन कटा दिया गया है। अतः वाहन का पंजीयन निरस्त कर दिया जाए। वाहन स्वामी के अनुरोध पर वाहन का चेसिस छाप वाला हिस्सा नष्ट कर, कार्यालय में जमा करा लिया गया है। वाहन सं0 UP06-2114 (D-VAN) का चेसिस सं0 NC640DP-2CT-DT-20231 तथा मॉडल 1995 है।

अतः, मैं, द्वारिका प्रसाद, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, वाहन सं0 UP06-2114 (D-VAN) का चेसिस सं0 NC640DP-2CT-DT-20231 का पंजीयन/चेसिस तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

द्वारिका प्रसाद,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रप्रयाग

आदेश

21 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 749/प्रवर्तन/लाइसेन्स निलम्बन/17–श्री अनिल सिंह पुत्र श्री बचन सिंह, ग्राम गुगली, पो0 महरगाँव, जिला रूद्रप्रयाग का पुलिस विभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 03.11.2017 को इनके द्वारा संचालित की जा रही वाहन संख्या यू0ए0 07जे0–9956 (मैक्सी कैब) का संचालन बिना वैध लाइसेन्स व नो पार्किंग में वाहन खड़ा करने के अभियोग में चालान कर, इनके लाइसेन्स संख्या यू0के0–1320170012467, जो इस कार्यालय द्वारा LMV(NT), MCWG(NT) हेतु जारी किया गया है व जिसकी वैधता क्रमशः दिनांक 10.08.2037 (अव्यवासायिक) तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही किए जाने हेतु इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

अतः, दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने व जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग अधिकारी, रूद्रप्रयाग के रूप में, मैं, पंकज श्रीवास्तव, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, आपके लाइसेन्स संख्या यू0के0–1320170012467 (वैधता उपरोक्त) को दिनांक 21.11.2017 से 20.02.2017 तक तत्काल प्रभाव से निलम्बित करता हूँ।

पंकज श्रीवास्तव,
प्र0 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रूद्रप्रयाग।

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

29 नवम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 3629/पंजीयन निरस्त/2017–18–वाहन संख्या UP04A-0062 (MGV), मॉडल 1996, चेसिस 60633205, इंजन नं0 640600, इस कार्यालय अभिलेखानुसार मो0 शहनवाज पुत्र संकर मंसूरी, मकान संख्या 154, राजकीय थारू इण्टर कॉलेज, खटीमा, ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। दिनांक 09.11.2017 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलाने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है, वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 29.11.2017 को वाहन संख्या UP04A-0062 (MGV), मॉडल 1996, चेसिस 60633205 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

30 नवम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 3631/पंजीयन निरस्त/2017–18–वाहन संख्या UA031495 (HGV), मॉडल 2003, चेसिस 373341AWZ000184, इंजन नं0 697TL45AWZ100076, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्रीमती मंजू वर्मा पत्नी श्री विपिन वर्मा, नेहरू बाजार, टनकपुर, जिला चम्पावत के नाम दर्ज है। दिनांक 01.11.2017 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलाने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है, वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.11.2017 को वाहन संख्या UA031495 (HGV), मॉडल 2003, चेसिस 373341AWZ000184 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

30 नवम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 3632/पंजीयन निरस्त/2017–18–वाहन संख्या HR38A3576 (HGV), मॉडल 1995, चेसिस 380010MUQ204706, इंजन नं0 697D72MUQ54214, इस कार्यालय अभिलेखानुसार श्री कैलाश चन्द्र पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह, मकान नं0 381, नौगवाठग्गू, खटीमा जिला ऊधमसिंह नगर के नाम दर्ज है। दिनांक 01.11.2017 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलाने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है, वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम, टनकपुर) की आख्यानुसार वाहन का मूल चेसिस प्लेट नष्ट कर, जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.11.2017 को वाहन संख्या HR38A3576 (HGV), मॉडल 1995, चेसिस 380010MUQ204706 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
टनकपुर (चम्पावत)।

कार्यालय सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5250/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.08.2017 को वाहन संख्या UK07TR1418, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Chandra Mohan S/o Balwant Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1420090005184 जो कि Rishikesh कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 16.04.2009 से 15.04.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5251/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.07.2017 को वाहन संख्या UK07AS-8380, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री अम्बिका S/o श्री एम0 पी0 सेमवाल की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720070012773 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 05.06.2017 से 04.06.2027 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5252/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 26.07.2017 को वाहन संख्या UK07BT-3732, MC वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री राजकुमार S/o श्री धर्मपाल सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 2012025664 जो कि बिजनौर कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 17.12.2012 से 09.06.2032 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5253/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 23.07.2017 को वाहन संख्या PB13AF-7764, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री सुखविन्दर सिंह S/o श्री बलदेव सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या PB-1320110057323 जो कि Sangrur (PNB) कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 18.04.2011 से 17.04.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 22.11.2013 से 16.06.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5254/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.09.2017 को वाहन संख्या UK07AW-0112, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Padmajaa Iyer S/o Venkiteshwar की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720120210292 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 04.06.2012 से 26.10.2020 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5255/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.07.2017 को वाहन संख्या UK07TA-6212, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय ओवर स्पीड के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री रमन मेनी S/o श्री एन0 के0 मेनी की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0719940206888 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 13.05.2015 से 13.04.2019 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 11.05.2015 से 10.05.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5256/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.08.2017 को वाहन संख्या UK07CA-8930, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Load (G) के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मनोज राणा S/o श्री आर0 एस0 राणा की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720090063893 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 02.01.2009 से 01.01.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से 31.12.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–..... के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5257/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 03.06.2017 को वाहन संख्या Chx 10081306, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Raunak Dua S/o Sri Sanjeev Dua की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720140814446 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा 09.09.2014 से 08.09.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5258/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 17.08.2017 को वाहन संख्या UK07CB-2409, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री राजेश कुमार S/o श्री गोरी शंकर की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP-2119970000867 जो कि Muradabad कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 14.05.1997 से 04.12.2026 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5259/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 11.07.2017 को वाहन संख्या UK07BZ-0882, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री संजीव कुमार S/o श्री रामचन्द्र की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP-0720100126991 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा 18.09.2010 से 10.06.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

06 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5248/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 03.07.2017 को वाहन संख्या UK07TB1277, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sunder Lal S/o Sri Bhura Ram की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0720050149449 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा 05.07.2005 से 04.07.2025 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 04.03.2015 से 03.03.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5271/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 21.07.2017 को वाहन संख्या PB 10FD 5909, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Kushal Kumar S/o Roshan Lal की चालन अनुज्ञप्ति संख्या PB-1020100188592 जो कि Ludhiyana कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 26.03.2010 से 25.03.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 04.04.2017 से 03.04.2020 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5274/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 06.08.2017 को वाहन संख्या RJ01CA 7836, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri M. S. Kotoch S/o C. Z. Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या MP09N20140882454 जो कि Indore कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 21.11.2014 से 20.11.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5279/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 24.07.2017 को वाहन संख्या UK07CB0990, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed, No. RC के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Manoj Kumar S/o Govind Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1020130001371 जो कि Uttarkashi कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 30.12.2013 से 29.12.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 25.01.2016 से 24.01.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5280/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.08.2017 को वाहन संख्या UP11AT 0532, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri B. Kumar S/o A. Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP1119982219751 जो कि Saharanpur कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा 26.05.1998 से 25.05.2015 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5281/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 15.07.2017 को वाहन संख्या UK07BH7770, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sandeep Awasthi S/o Chander Prakash की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1420050010927 जो कि Rishikesh कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 19.02.2005 से 18.02.2025 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 25.03.2016 से 24.03.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5282/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 26.07.2017 को वाहन संख्या UK07TB0304, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Suraj Kumar Thapa S/o Bir Bahadur की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-1420060095689 जो कि Rishikesh कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 27.04.2017 से 01.03.2027 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5283/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 03.08.2017 को वाहन संख्या UP20R3981, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red Light के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Maufeid Bheg S/o Sri Iftekhar Bheg की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 123343/D/08 जो कि Bijnor कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 21.07.2008 से 20.07.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5284/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 13.07.2017 को वाहन संख्या UK12TP-0977, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री प्रमोद कुमार S/o श्री पूरन सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-122009000169 जो कि Pauri कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 27.07.2009 से 06.04.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5285/लाइसेंस/2017–थाना डालनवाला, देहरादून द्वारा दिनांक 20.09.2016 को वाहन संख्या यूके–07 एएक्स–8566, मोटर साइकिल का चालान, चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन संचालित करने के अभियोग में किया गया है। इस सम्बन्ध में पुलिस द्वारा ब्रीथ एनालाइजर रिपोर्ट भी साक्ष्य हेतु प्रस्तुत की गई है, जिसमें रीडिंग 126.1 एमजी/100 एमएल आयी है, जो कि निर्धारित से अधिक है। उक्त अनियमितता के कारण वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, देहरादून द्वारा वाहन चालक श्री तस्लीम अहमद पुत्र श्री मुस्लिम अहमद, काला अजबपुर खुर्द, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यूए–0720090078090, जो कि मोटर साइकिल एवं हल्का परिवहन यान के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 09.06.2029/07.02.2019 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–16 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 06 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5287/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 12.07.2017 को वाहन संख्या HR-3Q-9574, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री दीपक आर्य S/o श्री भगवान दास की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720120226171 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 05.10.2012 से 04.10.2032 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 02.11.2015 से 01.11.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5288/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.07.2017 को वाहन संख्या UK07BC 9043, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile, R/c, I/c के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri S. Kumar S/o Sri S. Singh चालन अनुज्ञप्ति संख्या 57541D/2000 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 02.01.2004 से ..... तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5292/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.07.2017 को वाहन संख्या UK07AV1647, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Karan Tyagi S/o Naresh Tyagi चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720100122549 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 10.08.2010 से 09.08.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसैंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5293/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 22.07.2017 को वाहन संख्या UK07BX6462, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Manish Thapa S/o Sri Hira Singh Thapa की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720100126253 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 09.09.2010 से 08.09.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5294/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 24.05.2017 को वाहन संख्या UK07TA9105, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Load के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Gulfam S/o Sri Munne Khan की चालन अनुज्ञप्ति संख्या Uk-0720150015206 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 19.05.2015 से 18.05.2035 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से .....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–08 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5295/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 07.08.2017 को वाहन संख्या UK07CA 2244 वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Pan Singh Rawat S/o Sri Hira Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720000024929 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 31.05.2000 से 30.05.2020 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से .....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5296/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 02.05.2017 को वाहन संख्या UA07J7369, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Drink के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Balvinder Singh S/o Sri Ishwar Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720030270859 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 13.08.2003 से 12.08.2023 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 14.09.2016 से 13.09.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–16 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5297/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 22.04.2017 को वाहन संख्या UK07V5579, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile, without R.C., I.C. के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vishal Thakur S/o Sri Ghanshyam Thakur की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720150031533 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 21.10.2015 से 20.10.2035 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5298/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 27.05.2017 को वाहन संख्या UK07PA0501, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Load के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Nafees S/o Sri Lateef की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-072008006201 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 18.12.2008 से 17.12.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 31.12.2016 से 01.11.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–08 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5299/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 06.01.2017 को वाहन संख्या UA09 5162, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Load के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Manjit Singh S/o Sri G. Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA07198015483 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 10.10.1988 से 24.10.2021 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 25.10.2016 से 24.10.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–08 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5300/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 29.05.2017 को वाहन संख्या UK07BS 5316, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Rajan Agarwal S/o Sri R. M. Agarwal की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0720070017906 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 19.06.2013 से 18.06.2018 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5301/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.08.2017 को वाहन संख्या UK07CB1316, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sanjay Kumar Gusain S/o Sri Ram Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0719950168478 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 25.10.1995 से 14.11.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 12.07.2016 से 11.07.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

07 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 5303/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 10.08.2017 को वाहन संख्या KL-02AU-747, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री रोनाल्ड किरन S/o श्री एडविन प्रभाकर की चालन अनुज्ञप्ति संख्या KA-031990009627 जो कि Bangalore कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 17.11.1992 से 16.11.2012 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6125/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 04.07.2017 को वाहन संख्या UP11AA8689, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile, no RC के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Akshit Banral S/o Sri R. Banral की चालन अनुज्ञप्ति संख्या A-40077/FRZ/08 जो कि Saharanpur कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 25.05.2008 से 21.05.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6126/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 20.08.2017 को वाहन संख्या UK07AS-0709, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vijay K. Sharma S/o Sri Bhagwati की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720070003013 जो कि D. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 26.02.2007 से 14.03.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6132/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 21.08.2017 को वाहन संख्या UK07Z-1752, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Anshul Kumar Jaiswal S/o R.K. Jaiswal की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720140287248 जो कि D. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 31.01.2014 से 30.01.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6133/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 22.08.2017 को वाहन संख्या UA-07Q-2777, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sharad Kumar S/o Sri R. N. Sharma की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0719920053139 जो कि D. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 02.02.2013 से 04.01.2024 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6144/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 12.08.2017 को वाहन संख्या HR20AE-8616, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Yash Mehlla S/o Sandeep Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या HR2020160001048 जो कि HR-20 कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 28.10.2016 से 27.10.2036 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6145/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 23.08.2017 को वाहन संख्या BR-01BD-5911 वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vishwajit Singh S/o Sheo Kumar की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 2456/97 जो कि Bihar कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 01.04.1997 से 31.05.2024 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6146/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 21.08.2017 को वाहन संख्या UK07BD-7521 वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri J. S. Panwar S/o D. S. Panwar की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0820150151781 जो कि Haridwar कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 23.03.2015 से 15.05.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक .....से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6147/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 12.08.2017 को वाहन संख्या RJ14HR-1827 वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Anmol Kapoor S/o Sri Ajay Kapoor की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720150010930 जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 09.04.2015 से 08.04.2035 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से.....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6148/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 17.08.2017 को वाहन संख्या UK07TA-9727 वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vinay Kumar Soni S/o Shivnath Soni की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720160018040 जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 17.05.2016 से 16.05.2036 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 05.08.2017 से 04.08.2020 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6149/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 23.08.2017 को वाहन संख्या UK07TA-4455 वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sandeep Kumar S/o Ilam Chand की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0719920072894 जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 22.07.1992 से 16.08.2026 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 29.12.2016 से 08.12.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6150/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 19.08.2017 को वाहन संख्या UK16-7391 वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri K. B. Burathoki S/o D. B. Burathoki की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720150013094 जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 30.04.2015 से 29.04.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6419/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 01.07.2017 को वाहन संख्या UK07BR-7709 वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Anand Pal S/o Sri Vijay Pal की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720080056943 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 17.10.2008 से 16.10.2018 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6420/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 31.07.2017 को वाहन संख्या UK07Z-5880 कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री महेश चन्द्र S/o श्री नारायण दत्त की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-672012019485 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक ..... से ..... तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6421/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.07.2017 को वाहन संख्या UK-07AS-3006 कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Jeet Mahal S/o Bhupiner Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720160015763 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 13.03.2016 से 16.03.2036 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–19 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6422/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 28.07.2017 को वाहन संख्या UK07AK-2180 M/C वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red Light Jump के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Mukesh Singh S/o S. Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720140326065 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 17.12.2014 से 16.12.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6423/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 27.07.2017 को वाहन संख्या UK07AN-7834, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Himanshu S/o Sri Prabhaker की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720140284993 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 13.01.2004 से 12.01.2034 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से.....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6424/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 03.07.2017 को वाहन संख्या UA07J-6908 M/C, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय मो0 फो0 का प्रयोग के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक मौ0 आसिफ खान S/o श्री कमाल खान की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720110142397 जो कि देहरादून कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 15.01.2011 से 14.01.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से.....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6425/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 03.07.2017 को वाहन संख्या UK07CA-7625, छोटा हाथी वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Dheeraj Kumar S/o Sri R. Kumar की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-072011014574 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 07.02.2011 से 06.02.2031 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से.....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6426/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 29.07.2017 को वाहन संख्या UK07QH-1950, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Mr. Ajay Kumar Singh S/o Sri Ramdayak की चालन अनुज्ञप्ति संख्या MH3120080016793 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 02.03.2007 से 10.05.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से.....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–19 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6427/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 19.07.2017 को वाहन संख्या UK07 AN8679, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Kausar Qureshi S/o Sri A.H. Qureshi की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0719960085456 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 14.08.1996 से 15.07.2026 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से.....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6428/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 15.11.2016 को वाहन संख्या UK0726354, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Dinesh Pal S/o Sri Om Prakash Pal की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK-0720140304404 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 23.06.2014 से 19.04.2033 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से.....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6429/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 21.07.2017 को वाहन संख्या UK08AH9608, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Rizwan Rana S/o Sri Afsar Rana की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720120211960 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 15.06.2012 से 14.06.2032 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से.....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6430/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 16.07.2017 को वाहन संख्या UK07BW8797, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Gagandeep Singh S/o Sri S. S. Garare की चालन अनुज्ञप्ति संख्या 18932/D/98 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 06.11.1998 से 01.10.2018 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से.....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6431/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 11.08.2017 को वाहन संख्या UK07AH 5509, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Manish S/o Sri Dalip Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0720100114150 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 05.06.2010 से 04.06.2030 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक.....से.....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6432/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 25.07.2017 को वाहन संख्या UK07BQ8190, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vaibhav Singh Bisht S/o Sri P. S. Bisht की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0720080037167 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 03.03.2008 से 02.03.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से.....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

22 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6444/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 06.08.2017 को वाहन संख्या PH122-2723, कार वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री प्यार चन्द S/o श्री तेज सिंह की चालन अनुज्ञप्ति संख्या Dh-0920000168853 जो कि Palam (SWZ-I) कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनाक 30.04.2015 से 29.04.2016 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 30.04.2015 से 29.04.2018 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6463/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.08.2017 को वाहन संख्या CHJ 3301, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vishal Khanduja S/o R. K. Khanduja की चालन अनुज्ञप्ति संख्या CH0119980327768 जो कि Chandigarh कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 31.07.1998 से 30.07.2018 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6464/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.06.2017 को वाहन संख्या UK07BH5227, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Apurva Garg S/o Sri Sanjay Garg की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720160039648 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 13.01.2016 से 12.01.2036 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से .....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6469/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 25.07.2017 को वाहन संख्या UK07CA-7542, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Load, यातायात नियमों का उल्लंघन, Unsafe Driving के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Mukram Ali S/o Sri Mursalin की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720120217139 जो कि D.Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 20.07.2012 से 19.07.2032 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 20.07.2012 से 27.01.2020 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–08 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

23 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6479/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.08.2017 को वाहन संख्या UK14TA1044, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Anil Singh S/o Sri Tara Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK1420060039590 जो कि Rishikesh कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 27.03.2006 से 26.03.2026 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

25 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6493/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 08.08.2016 को वाहन संख्या–यूके–07बीके–6235, मोटर साइकिल का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय बिना हेलमेट व मोबाइल फोन पर बात करने के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री जबीर हसन पुत्र श्री सबीर हसन, राझावाला, रायपुर, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यूए–0720060169810 जो कि मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 18.06.2026 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

25 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6494/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 28.05.2017 को वाहन संख्या UK07BE 3089, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed, no RC, IC के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Paranjeet Singh S/o Sri Mohan Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA072002012688 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 29.05.2002 से 28.05.2022 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

25 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6495/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 24.08.2017 को वाहन संख्या UK07TB1785, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Mobile के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Kamal Verma S/o Sri Shankar Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK0720060239820 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 21.01.2006 से 20.01.2026 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–25 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

25 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6496/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 22.08.2017 को वाहन संख्या UK14C8545, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Raghuveer Singh S/o Sri V. Bahadur की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK142009000426 जो कि Rishikesh कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 27.02.2009 से 07.03.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

25 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6497/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 11.07.2017 को वाहन संख्या UK08AE 3130, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Arvind Kumar S/o Ratan Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UK1220160022730 जो कि Pauri कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 19.09.2016 से 14.04.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

25 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6498/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 22.07.2017 को वाहन संख्या UK07BN0995, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red Light के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Pohik Khatri S/o Sri Shespal Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0720080032529 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 08.01.2008 से 07.01.2028 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से .....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6549/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 23.07.2017 को वाहन संख्या A/F, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Pradeep Arija S/o Sri C. D. Arija की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0719950085325 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 28.01.2015 से 02.09.2025 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से .....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6550/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 09.08.2017 को वाहन संख्या UK07BL-7717, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Mirtuyanjay S/o Sri Bhajan Singh की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA-0719990158954 जो कि D. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 03.12.1999 से 07.10.2020 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से ..... तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6551/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 20.07.2017 को वाहन संख्या UK07AJ-6782, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Red Light के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Sunil Bin S/o Sri Guddu Bin की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP-0720090068408 जो कि Dehradun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 27.02.2009 से 26.02.2029 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से .....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–12 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6552/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 10.08.2017 को वाहन संख्या UP15BU 7500, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Vipin Kumar S/o Surendra Kumar की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UP1520070012696 जो कि Meerut कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 03.01.2007 से 02.01.2027 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक ..... से .....तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–09 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

आदेश

28 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 6558/लाइसेंस/2017–यातायात पुलिस, देहरादून द्वारा दिनांक 23.07.2017 को वाहन संख्या UP07J-9204, वाहन का चालान, चालक द्वारा वाहन चलाते समय Over Speed के अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक Sri Gajendra Lal S/o Sri Ghoora Lal की चालन अनुज्ञप्ति संख्या UA0720120200139 जो कि D. Dun कार्यालय द्वारा मोटर साइकिल एवं हल्का मोटरयान (गैर परिवहन) के लिए जारी की गई है तथा दिनांक 19.03.2012 से 29.06.2023 तक वैध है तथा ट्रान्सपोर्ट वैधता दिनांक 04.03.2017 से 06.06.2019 तक है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गई है। लाइसेंसधारक द्वारा उक्त सम्बन्ध में कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा क्षमायाचना करते हुए, लाइसेंस अवमुक्त करने की प्रार्थना की है।

अतः लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(एफ) सपठित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम–21 के उपनियम–08 के अन्तर्गत एवं मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा–1(आई) की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लाइसेंसधारक को चालान की तिथि से 03 माह की अवधि के लिए किसी भी प्रकार की वाहन के संचालन हेतु अनर्ह (Disqualify) किया जाता है।

लाइसेंसिंग प्राधिकारी,
मोटर वाहन विभाग,
देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 हिन्दी गजट/10–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 27 जनवरी, 2018 ई0 (माघ 07, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय नगर पंचायत दिनेशपुर (ऊधमसिंह नगर)

सार्वजनिक सूचना

10 अगस्त, 2017 ई0

पत्रांक 134/न0पं0/यूजर चार्ज उपविधि/2017–18–नगर पंचायत, दिनेशपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर सीमान्तर्गत उ0प्र0, नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) की धारा 298 की उपधारा–2, खण्ड (झ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के क्रियान्वयन हेतु "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017" बनायी जाती हैं, जो नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 301 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उनसे आपत्ति एवं सुझाव प्राप्ति हेतु प्रकाशित की जा रही हैं।

अतः समाचार–पत्र में उपविधि के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित सुझाव एवं आपत्तियाँ अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, दिनेशपुर, जिला ऊधमसिंह नगर को प्रेषित की जा सकेगी। वादमियाद प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भ :

1. यह उपविधि नगर पंचायत, दिनेशपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर की "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017" कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पंचायत, दिनेशपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

परिभाषाएँ :

(i) "नगरीय ठोस अपशिष्ट" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(ii) "उपविधि" से अभिप्रेत, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है।

(iii) "नगरपालिका" से अभिप्रेत, संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पंचायत, दिनेशपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर से है।

(iv) "अधिशासी अधिकारी" से अभिप्रेत, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(v) "सफाई निरीक्षक" से अभिप्रेत, नगर पंचायत, दिनेशपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पंचायत के उस अधिकारी/कर्मचारी से है, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगर पंचायत बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(vi) "निरीक्षण अधिकारी" का अभिप्रेत, अधिशासी अधिकारी नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से है, जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

(vii) "नियम" से अभिप्रेत, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं0, 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर, 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर, 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(viii) "अधिनियम" से अभिप्रेत, उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है।

(ix) "जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट (Biodegradable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से हैं, जो सुक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है। जैसे बचा हुआ खाना, सब्जी एवं फलों के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

(x) "जीव अनाशित अपशिष्ट (Non-biodegradable waste)" का अभिप्रेत, ऐसे कूड़े–कचरा सामग्री से है, जो जीव नाशित कूड़ा–कचरा नहीं है और इसके अन्तर्गत प्लॉस्टिक भी है।

(xi) "पुन र्चक्रणीय अपशिष्ट (Recyclable waste)" से अभिप्रेत, ऐसे अपशिष्ट से है, जो दोबारा किसी भी प्रकार से सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे प्लॉस्टिक, पॉलीथीन (निर्धारित माइक्रोन के अन्दर), कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xii) "जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (Biomedical waste)" से तात्पर्य, ऐसे अपशिष्ट से है, जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसंधान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) "संग्रहण (Collection)" से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(xiv) "कचरा खाद बनाने (Composting)" एक ऐसी नियंत्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तवर्लित है।

(xv) "ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट (Demolition and construction waste)" से अभिप्रेत, सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(xvi) "व्ययन (Disposal)" से भूजल सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणवत्ता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन, अभिप्रेत है।

(xvii) "भूमिकरण (Landfilling)" से भूजल, सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू, आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृतक, ग्रीन हाऊस गैस उज्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव क लिए सुरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाइन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान, अभिप्रेत है।

(xviii) "निक्षालितक (Leachate)" से वह द्रव्य अभिप्रेत है, जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिससे इसमें से घुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(xix) "नगरपालिका प्राधिकारी (Municipal authority)" में, म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगरपालिका, नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद्, जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन0ए0सी0) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहाँ नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन, ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) "स्थानीय प्राधिकारी (Local authority)" का अभिप्रेत, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है।

(xxi) "नगरीय ठोस अपशिष्ट (Municipal solid waste)" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (Hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुए, ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) "सुविधा के परिचालक (Operator of facility)" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो नगरीय ठोस अपशिष्टों के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है, जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिए नगरपालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiii) "पुनर्चक्रण (Recycling)" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता है। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता है।

(xxiv) "पृथक्करण (Segregation)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनःचक्रण योग्य ओर परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxv) "भण्डारण (Storage)" से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है, जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोक जा सके।

(xxvi) "परिवहन (Transportation)" से विशेष रूप से डिजाइन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुँच से रोका जा सके।

4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment), नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पंचायत द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरे में पुनःचक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा।

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 5 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनःचक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन नगर पंचायत के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार नगर पंचायत के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (Operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा), जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें, जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेगी, के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) लिए जायेंगे।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पंचायत से सम्पर्क कर, नगर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहाँ तक सम्भव हो, बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहाँ ऐसा करना सम्भव न हो तो नगर पंचायत से सम्पर्क कर नगर पंचायत द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (User charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।
9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (Hazaradous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार (door to door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।
10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन, जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम, 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।
11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।
12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।
13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है, को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगरपालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस में नगरपालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।
14. अनसूची में दी गई दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना ₹ 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी।
15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।
16. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक–अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है तो प्रथम बार ₹ 200.00, दूसरी बार पर 500.00 एवं एवं तीसरी बार में ₹ 1,000.00 पैनेल्टी देनी होगी।
17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सड़क या नाली के ऊपर से नहीं हटाता है तो प्रथम बार ₹ 500.00, द्वितीय बार ₹ 1,000.00 एवं तीसरी बार में ₹ 1,500.00 की अर्थदण्ड (Penalty) देनी होगी।
18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेवा शुल्क (User charges) की दरें निम्नवत् है:–

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User charges) की दरें

क्रम सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/ अपशिष्ट के प्रकार	प्रतिमाह सेवा शुल्क (User charges) की राशि ₹ में			
		जैविक, अजैविक कूड़ा, अलग–अलग सड़क तक पहुँचाने पर	मिश्रित कूड़ा सड़क तक पहुँचाने पर	जैविक, अजैविक कूड़ा घर/स्रोत पर ही अलग–अलग देने पर	जो व्यक्ति, घर/ स्रोत पर ही मिश्रित कूड़ा देनें पर
1	2	3	4	5	6
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	10	15	20	25
2.	मध्यम वर्ग कम आय वाले घर	15	20	25	30
3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	25	30	35	40
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	150	250	150	150

1	2	3	4	5	6
5.	रेस्टोरेन्ट	250	500	200	250
6.	होटल/लॉजिंग/गेस्ट हाउस	200	300	300	350
7.	धर्मशाला	50	75	75	75
8.	बारातघर	1000	1500	1000	1500
9.	बैकरी	150	200	150	200
10.	कार्यालय सरकारी	100	150	100	100
11.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (आवासीय)	100	200	200	200
12.	स्कूल/शिक्षण संस्थाएँ (अनावासीय)	50	100	100	100
13.	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बॉयोमेडिकल वेस्ट को छोड़कर)	200	400	200	250
14.	क्लीनिक (मेडिकल)	100	200	150	200
15.	दुकान	100	200	150	175
18.	फैक्ट्री (उद्योग)	500	600	400	550
17.	वर्कशाप/कबाड़ी	1000	1500	500	700
18.	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150
19.	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/विवाह आदि प्रति आयोजन, जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो	200	500	500	400
20.	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	200	400	400	300
21.	बड़े आवासीय प्रतिष्ठान, जो उक्त सूची में नहीं हैं	100	200	200	250
22.	ऐसे व्यवसाय, प्रतिष्ठान, आवास, जो उक्त सूची में नहीं हैं	100	200	200	250

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे–भण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा/जुलूस आदि पर उपरोक्त दरें लागू नहीं होंगी।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लंघन उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथावृत्त) की धारा 299(1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो ₹ 5,000.00 (रु0 पाँच हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाए, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, ₹ 500.00 तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत दिनेशपुर, जिला–ऊधमसिंह नगर में निहित होगा।

संजय कुमार,
अधिशासी अधिकारी,
नगर पंचायत, दिनेशपुर
(ऊधमसिंह नगर)।

काबल सिंह विर्क,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, दिनेशपुर
(ऊधमसिंह नगर)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 04 हिन्दी गजट/10–भाग 8–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।